कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com
Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 186 /FP/UK/ROAD/35251/2018 :देहरादूनः 8/12 जनवरी, 2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद नैनीताल के विधानसभा कालाढूँगी के विकास खण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत देचौरी देगॉव नया पाण्डेगॉव में आन्नद सिंह के घर से राजकीय पूर्व माध्यमिक विधालय देचौरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.405 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/35251/2018)

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/69/2019/एफ0सी0/1814 दिनॉक 26–11–2020.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 943/12–1 दिनांक 14.01.2022 **(प्रति सलंग्न)** के द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

S.N.	Observation	Compliance
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
3.	प्रतिपूरक वनीकरणः	
क.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 810 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.81 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाये।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा निर्धारित धनराशि 2,73,120.00रू0 (दो लाख तिहत्तर हजार एक सौ बीस) मात्र कैम्पा कोष में ऑनलाईन जमा करा दी गयी है। **(सलंग्नक–1)**
ख	राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	संबंधित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। **(सलंग्नक–2)**
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण योजना की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के ऐि प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि भूमि जिस पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाना है, आरक्षित वन भूमि है जिस पर सर्वेक्षण, सीमाकंन और स्तम्भ आदि लगाने की आवश्यकता नहीं है, अतः शर्त लागू नहीं है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क	इस सम्बन्ध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) सं0 202/1995 में IA नंबर दि0 30.10.02, 01.08.03, 28.03.08, 24.04.08	प्रयोक्ता विभाग द्वारा सम्बन्धित शर्त के अनुपालन में 3,59,235.00 रूपये

	एवं 09.05.08 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक:5–1/1998– एस0सी0 (Pt.2) दि0 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.405 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	की धनराशि कैम्पा कोष में जमा करा दी गयी है। (सलंग्नक–3)
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। (सलंग्नक–4)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के 39 वृक्ष से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जाएंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रकरण में देय धनराशि ई–पोर्टल पर कैम्पा कोष में आनलाइन जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है। (सलंग्नक–5)
8	गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश से उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदंड़ो के अनुसार सड़क के दोनो किनारे पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि कोई लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिहवन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया

	के दिशानिर्देश फाइल संख्या–11–42/2017–FC दि0 29.01.2018 के अनुसार उस पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	जायेगा।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविनिर्दिष्ट स्थलों पर सही प्रकार से मलवे का निस्तारण करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

अतः विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि

भवदीय,

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या :– 1881 **/ FP/UK/ROAD/35251/2018 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

9/c